# विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना

## टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

क्रमांक: टीएचडीसीआईएल/वीपीएचईपी/का.एवं प्रशा./पीएफ-131/ दिनांक 03/06/2017

## आदेश

**चूंकि,** श्री पी. सुब्बैया, वरिष्ठ आशुलिपिक, कर्मचारी संख्या 1192272, बिना अनुमति के काम या कार्यस्थल छोड़ने, अथवा बिना छुट्टी या पर्याप्त कारण के आदतन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कदाचार में लिप्त पाए गए हैं। अपने इन कृत्यों और रवैये के कारण वह पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखने में विफल रहे और उन्होंने ऐसा कार्य किया जो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के एक कर्मचारी के लिए अशोभनीय है।

**और चूंकि,** श्री सुब्बैया का उक्त आचरण प्रमाणित स्थायी आदेश के खंड 14.10, 23.4, 23.32 के प्रावधानों और टीएचडीसीआईएल अवकाश नियमों के खंड 5.18 और 20.13 का उल्लंघन पाया गया था।

**और चूंकि,** उपरोक्त कृत्य के आधार पर, श्री पी. सुब्बैया, वरिष्ठ आशुलिपिक के खिलाफ ज्ञापन संख्या टीएचडीसीआईएल/ वीपीएचईपी/पीएफ-131/340 दिनांक 18.07.2016 के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसके बाद श्री पी. सुब्बैया ने न तो कोई जवाब प्रस्तुत किया और न ही वे ड्यूटी पर उपस्थित हुए।

**अतः,** उनके द्वारा आरोपों, ज्ञापन का उत्तर न देने तथा निर्धारित तिथियों, समय और स्थान पर बिना किसी पर्याप्त कारण के सभी आवश्यक दस्तावेजों, साक्ष्यों और गवाहों के साथ जांच कार्यवाही में भाग न लेकर आदेश संख्या टीएचडीसीआईएल/वीपीएचईपी/पीएफ-131/903 दिनांक 16/01/2017 का पालन करने में विफल रहने पर, उक्त जांच को अंततः उनके खिलाफ **एकपक्षीय** रूप से संचालित किया गया।

**और चूंकि,** जांच प्राधिकारी ने अभिलेखों की जांच करने के बाद विभागीय जांच का संचालन कर उसे संपन्न किया और दिनांक 11/05/2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह स्थापित हुआ कि श्री पी. सुब्बैया के खिलाफ आरोपों के सभी बिंदु सिद्ध हो चुके हैं।

जबकि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने मामले के संपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद यह विचार व्यक्त किया कि श्री पी. सुब्बैया द्वारा किए गए कृत्य प्रमाणित स्थायी आदेशों के नियम 24.2 (ख) में निर्धारित **बड़ा जुर्माना** यानी **"सेवा से हटाया जाना"** लगाने के योग्य हैं, जो भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्य नहीं ठहराता है। हालांकि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने श्री पी. सुब्बैया के मामले को विचार और अनुमोदन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के पास भेजा, क्योंकि सेवा से हटाने की सजा की सिफारिश अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गई थी।

**और चूंकि,** नियुक्ति प्राधिकारी ने दिनांक 02/06/2017 के अपने आदेश द्वारा श्री पी. सुब्बैया के मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित दंड को विधिवत स्वीकार कर लिया है और परिणामस्वरूप श्री पी. सुब्बैया, वरिष्ठ आशुलिपिक को प्रमाणित स्थायी आदेशों के नियम 24.2 (ख) के तहत सेवा से हटाने का बड़ा दंड दिया है। यह आदेश इसके बाद अधोहस्ताक्षरी को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया था।

और चूंकि नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात् महाप्रबंधक (परियोजना) द्वारा दिनांक 02.06.2017 को पारित आदेश के अनुसार श्री पी. सुब्बैया को प्रमाणित स्थायी आदेशों के नियम 24.2(ख) के तहत सेवा से हटाया जाता है, जिससे वे भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्य नहीं होंगे। सेवा से हटाने की यह सजा दिनांक 25.05.2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित आदेश की तिथि से प्रभावी होगी।

प्रमाणित स्थायी आदेशों के नियम 29 के अनुसार, श्री पी. सुब्बैया इस आदेश की सूचना मिलने की तिथि से एक माह के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। श्री पी. सुब्बैया के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी वह कार्यपालक/प्राधिकारी होगा जो उच्च वेतनमान में कार्यरत है और जिसने दंड लगाया है। चूंकि अधोहस्ताक्षरी अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया दंड प्रमाणित स्थायी आदेशों के नियम 24.2 (ख) के तहत श्री पी. सुब्बैया को सेवा से बर्खास्त करना था, इसलिए मामला नियुक्ति प्राधिकारी, जो महाप्रबंधक (परियोजना) थे, के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

चूंकि नियुक्ति प्राधिकारी, जो महाप्रबंधक (परियोजना) थे, ने प्रमाणित स्थायी आदेशों के नियम 24.2 (ख) के तहत निर्दिष्ट प्रमुख दंड लगाने का आदेश पारित किया था, इसलिए श्री पी. सुब्बैया के मामले में अपीलीय प्राधिकारी निदेशक (कार्मिक), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड होंगे।

अतः, यदि श्री पी. सुब्बैया इस आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं, तो अपील टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक), जो अपीलीय प्राधिकारी हैं, को संबोधित की जानी चाहिए और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी को टीएचडीसी वेबसाइट पर इस आदेश के संचार/ प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर (जो भी पहले हो) प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अतः, यह भी आदेश दिया जाता है कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 02/06/2017 को पारित आदेश के विरुद्ध श्री पी. सुब्बैया की ओर से कोई अपील प्राप्त नहीं होती है, तो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, पीपलकोटी के संबंधित अधिकारी श्री पी. सुब्बैया को देय और उनसे प्राप्त होने वाले सभी भुगतानों की गणना करेंगे और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, पीपलकोटी में उनके खाते का अंतिम निपटान/समाप्ति करेंगे।

(बी.के.सिंह)
अनुशासनात्मक प्राधिकरण

पीपलकोटी
03.06.2017

संलग्न: नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 02/06/2017 को पारित आदेश

सेवा में:

**1. श्री पी. सुब्बैया, पुत्र स्वर्गीय श्री येशुरत्नम**

क. मकान नं. 26-11-8, क्रुपु निलयम,
मस्जिद लाइन, नगरपालम (पी.ओ.),
4 लाइन, जिला गुंटूर-522004
आंध्र प्रदेश (ए.पी.)

ख. मकान नं.26-13-35, अगस्टस गार्डन, मस्जिद लाइन,
नगरपालम (पी.ओ.),
जिला गुंटूर-522004
आंध्र प्रदेश (ए.पी.)

ग. मकान संख्या 259, फ्लैट संख्या 03,
पहली मंजिल, पूर्वी दिशा की ओर,
हौज रानी, नई दिल्ली 10017

घ. josasi50@yahoo.com

2. महाप्रबंधक (परियोजना), वीपीएचईपी
3. महाप्रबंधक (का.एवं प्रशा.), ऋषिकेश
4. वरि.प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), वीपीएचईपी
5. कार्यपालक सचिव (कार्मिक), टीएचडीसीआईएल, ऋषिकेश

# विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना

## टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

क्रमांक: टीएचडीसीआईएल/वीपीएचईपी/महा.प्रबं.(परि.)/179 दिनांक: 02/06/2017

**<u>आदेश</u>**

श्रीमान पी. सुब्बैया, वरिष्ठ आशुलिपिक (कर्मचारी संख्या 1192272, टीएचडीसीआईएल, वीपीएचईपी, पर निगम के प्रमाणित स्थायी आदेश के अनुसार स्वीकृत अवकाश और पूर्व अनुमति के बिना कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप है।

श्री पी. सुब्बैया का तबादला नोएडा से पीपलकोटी में 27 दिसंबर, 2014 को यूनिट में कार्यभार संभालने के लिए किया गया था, लेकिन उक्त तिथि को यूनिट में कार्यभार संभालने के बाद, वे स्थानांतरण अवकाश (अर्थात लगातार सात दिनों के लिए) पर चले गए और अवकाश समाप्त होने के बाद यूनिट में कार्यभार नहीं संभाला। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने श्री पी. सुब्बैया को नोटिस संख्या टीएचडीसीआईएल/वीपीएचईपी/पी/कोटी/251 दिनांक 20.04.2015 जारी किया, जिसमें उन्हें दिनांक 20.04.2015 के पत्र की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर सीधे ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, अन्यथा जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के लिए नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। दिनांकित नोटिस के अनुसरण में 20.04.2015 को, श्री पी. सुब्बैया को इसी विषय पर 21.04.2015 का एक ईमेल भी भेजा गया था, जिसका जवाब श्री पी. सुब्बैया ने 03.05.2015 के ईमेल के माध्यम से देते हुए बताया कि वे 30.05.2015 को ड्यूटी पर उपस्थित होंगे। हालांकि, वे ड्यूटी पर नहीं आए। इसलिए, श्री पी. सुब्बैया को पत्र संख्या: टीएचडीसीआईएल/वीपीएचईपी/पी/कोटी /440 दिनांक 19.06.2015 के माध्यम से एक और नोटिस भेजा गया, जिसमें उन्हें अंतिम अवसर दिया गया और नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर ड्यूटी पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, श्री पी. सुब्बैया को दिनांक 19.06.2015 के नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया कि उक्त नोटिस का पालन न करने पर प्रमाणित स्थायी आदेश की धारा 14.10 लागू होगी। जिसके आधार पर उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

श्री पी. सुब्बैया ने 01.07.2015 को यूनिट में पुनः कार्यभार ग्रहण किया। हालांकि, उन्होंने न तो अपनी अनुपस्थिति का कोई कारण बताया और न ही ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद, जुलाई 2015 में 15 दिन की सेवा करने के बाद, उन्होंने कार्यपालक निदेशक (परियोजना) को यह आश्वासन देकर फ्लेक्सी ऑफ के रूप में फिर से अवकाश ले लिया कि वे 21.07.2015 को ड्यूटी पर वापस आ जाएंगे। उक्त झूठे आश्वासन के बावजूद, श्री पी. सुब्बैया वापस नहीं आए।

श्री पी. सुब्बैया को 09.10.2015 को ज्ञापन संख्या टीएचडीसीआईएल/वीपीएचईपी/का.एवं प्रशा./767 जारी किया गया, जिसमें 27.12.2014 से 30.06.2015 और 21.07.2015 से आगे की अवधि के लिए बिना स्वीकृत अवकाश और पूर्व अनुमति के कार्यस्थल से अनधिकृत अनुपस्थिति का उल्लेख किया गया था। श्री पी. सुब्बैया का उपरोक्त आचरण प्रमाणित स्थायी आदेश के खंड 14.10 और टीएचडीसीआईएल अवकाश नियमों के खंड 5.18 और खंड 20.13 का उल्लंघन पाया गया, और उन्हें दिनांक 09.10.2015 के ज्ञापन संख्या टीएचडीसीआईएल/वीपीएचईपी/का.एवं प्रशा./767 के माध्यम से इसकी सूचना दी गई। उन्हें ज्ञापन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें यह बताया गया है कि टीएचडीसीआईएल के प्रमाणित स्थायी आदेश के अनुसार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए, जिस पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

श्री पी. सुब्बैया ने दिनांक 22.02.2016 के ईमेल के माध्यम से अपने ससुर के 21.02.2016 को देहांत हो जाने के कारण दिनांक 03.03.2016 से कार्यभार पर आने का अनुरोध किया।

श्री पी. सुब्बैया को यह अवसर दिया गया। इसके बाद, श्री पी. सुब्बैया ने दिनांक 03.03.2016 के ईमेल के माध्यम से दस (10) दिनों का अतिरिक्त अवकाश मांगा और दिनांक 13.03.16 से कार्यभार पर आने का अनुरोध किया। हालांकि, वे कार्यभार पर नहीं आए।

इसलिए, श्री पी. सुब्बैया को अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के लिए दिनांक 18.07.16 को दूसरा ज्ञापन संख्या टीएचडीसीआईएल/वीपीएचईपी/पीएफ-131/340 जारी किया गया, जिसमें कदाचार के आरोपों का विवरण और आरोप-पत्रों का विवरण भी शामिल था। इसमें निगम के प्रमाणित स्थायी आदेश के खंड 24.2 के तहत श्री पी. सुब्बैया के खिलाफ निम्नलिखित आरोप-पत्रों पर जांच करने का इरादा व्यक्त किया गया था:

अनुच्छेद 1

श्री पी. सुब्बैया, वरिष्ठ आशुलिपिक का तबादला 27.12.2014 को नोयडा से पीपलकोटी में किया गया था। श्री पी. सुब्बैया ने 27.12.2014 को यूनिट में कार्यभार ग्रहण किया और लगातार सात दिनों के लिए स्थानांतरण अवकाश पर चले गए तथा अवकाश समाप्त होने के बाद 30.06.2015 तक यूनिट में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार निगम के प्रमाणित स्थायी आदेश के खंड 23.32 के अनुसार बिना अनुमति और बिना संतोषजनक कारण के 7 दिनों से अधिक समय तक लगातार अनुपस्थित रहकर कदाचार किया।

अनुच्छेद - II

श्री पी. सुब्बैया, वरिष्ठ आशुलिपिक, 27.12.2014 से 30.06.2015 तक और 21.07.2015 से आज तक, यानी 590 दिनों से अधिक समय तक बिना किसी स्वीकृत अवकाश के ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। उन्हें दिनांक 20.04.2015 को नोटिस भेजा गया था और दिनांक 21.04.2015 को ईमेल भी भेजा गया था। श्री पी. सुब्बैया ने दिनांक 21.04.2015 के ईमेल का उत्तर देते हुए अपनी खराब सेहत के कारण 30.05.2015 को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का आश्वासन दिया था। बाद में उन्हें दिनांक 09.10.2015 को ज्ञापन भेजा गया और ज्ञापन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। अतः, ज्ञापन के जवाब में कोई सूचना नहीं दी गई और उन्होंने 01.07.2015 को बिना किसी चिकित्सक से "फिटनेस सर्टिफिकेट" जमा किए यूनिट में कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद, उन्होंने सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति प्राप्त किए बिना 15 दिन की सेवा के बाद अवकाश ले लिया। अतः, उन्होंने 22.02.2016 के ईमेल के माध्यम से 03.03.2016 को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना दी और बाद में, 03.03.2016 के ईमेल के माध्यम से ही 10 दिनों का विस्तार मांगा और 13.03.2016 को कार्यभार ग्रहण करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार, श्री पी. सुब्बैया ने कंपनी के चिकित्सा अधिकारी और/या सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन जमा न करके निगम के प्रमाणित स्थायी आदेश के खंड 14.08 का उल्लंघन किया। इसके अलावा, निगम के प्रमाणित स्थायी आदेश के खंड 14.10 का उल्लंघन बिना अनुमति के लगातार 10 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहकर किया गया है और वह मंजूरी देने वाले प्राधिकरण को अपनी अनुपस्थिति का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ है, साथ ही टीएचडीसीआईएल अवकाश नियमों के खंड 5.18 और 20.13 का भी उल्लंघन किया गया है।

अनुच्छेद - III

श्री पी. सुब्बैया, वरिष्ठ आशुलिपिक, को दिनांक 18.07.2016 को एक ज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें दुर्व्यवहार के आरोपों के विवरण के साथ-साथ आरोपित अधिकारी के खिलाफ जांच करने के लिए आरोप पत्र भी शामिल थे,

क्योंकि वे 16.10.2014 से 15.11.2014, 27.12.2014 से 30.06.2015 और 21.07.2015 से आज तक बिना स्वीकृत अवकाश के ड्यूटी से अनुपस्थित रहे थे। अतः, उनके तीनों पतों और ईमेल आईडी पर पर्याप्त नोटिस भेजे जाने के बावजूद, उन्होंने प्रारंभिक सुनवाई के लिए निर्धारित किसी भी तिथि, अर्थात् 30.01.2017, 21.02.2017, 07.03.2017 और 07.04.2017 को कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया। इस प्रकार श्री पी. सुब्बैया ने निगम के प्रमाणित स्थायी आदेश के खंड 23.4 के अनुसार बिना अनुमति के काम या कार्यस्थल छोड़ने या बिना छुट्टी लिए या पर्याप्त कारण के बिना बार-बार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण कदाचार किया है।

श्री पी. सुब्बैया को ज्ञापन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर लिखित बयान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, श्री पी. सुब्बैया ने उक्त ज्ञापन का कोई उत्तर नहीं दिया। उपरोक्त कदाचार के कृत्यों और चूक के आधार पर, श्री पी. सुब्बैया के विरुद्ध टीएचडीसी प्रमाणित स्थायी आदेश के नियम 27.2 के तहत उप महाप्रबंधक (का.एवं प्रशा.) और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और इसके बदले दिनांक 16.01.2017 के आदेश द्वारा श्री पी. सुब्बैया को जांच कार्यवाही में उपस्थित होने और भाग लेने का निर्देश दिया गया।

अभिलेखों के अनुसार, मामले की प्रारंभिक सुनवाई 30 जनवरी, 2017 को हुई थी। श्री पी. सुब्बैया को आदेश संख्या टीएचडीसीआईएल/वीपीएचईपी/अनुशा.-1/911 दिनांक 18.01.2017 द्वारा सूचित किया गया था, लेकिन 30.01.2017 को उनकी अनुपस्थिति के कारण, उन्हें 21 फरवरी, 2017 को एक और अवसर दिया गया। श्री पी. सुभैया के 21.02.2017 को भी अनुपस्थित रहने पर, न्याय के सिद्धांत के तहत उन्हें तीसरा अवसर दिया गया और उन्हें 07.03.2017 को उपस्थित होने के लिए कहा गया।

तीन अवसर दिए जाने के बावजूद, श्री पी. सुब्बैया न तो पूछताछ में उपस्थित हुए और न ही अपनी अनुपस्थिति के बारे में कोई सूचना भेजी। इसके बावजूद, श्री पी. सुब्बैया को अपना बचाव करने का एक और उचित अवसर दिया गया, जिसके तहत उन्हें 7 अप्रैल, 2017 को पूछताछ की अगली सुनवाई में उपस्थित होना था। सुनवाई की सूचनाएँ टीएचडीसीआईएल और वीपीएचईपी के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाई गई थीं। पूछताछ में उपस्थित होने की सूचनाएँ 22 मार्च, 2017 को इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) और गुंटूर (साक्षी-गुंटूर संस्करण) नामक दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गईं।

श्री पी. सुब्बैया निर्धारित समय और स्थान पर किसी भी तारीख को उपस्थित नहीं हुए। श्री पी. सुब्बैया ने जानबूझकर पूछताछ की कार्यवाही में भाग लेने से परहेज किया और परिणामस्वरूप पूछताछ एकतरफा रूप से समाप्त कर दी गई। जाँच प्राधिकरण ने विभागीय जाँच की और उसे पूरा करते हुए 11.05.2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि श्री पी. सुब्बैया के विरुद्ध सभी आरोप सिद्ध हो गए हैं।

जांच अधिकारी के निष्कर्षों के अनुसार, सभी आरोप जांच अधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप सिद्ध हुए और श्री पी. सुब्बैया को संलग्न अभिलेखों के अनुसार कदाचार करते हुए पाया गया। प्रदर्श संख्या 1, अर्थात् जनवरी 2015 से 18 नवंबर 2016 की अवधि के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति और प्रदर्श संख्या 2, अर्थात् 21.04.2015 और 03.05.2015 के ईमेल की प्रति, जिसके माध्यम से श्री पी. सुब्बैया ने बताया कि वे 30.05.15 से कार्यभार ग्रहण करेंगे, निःसंदेह यह सिद्ध करता है कि श्री पी. सुब्बैया जनवरी 2015 से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित थे।

दस्तावेज़ 2, 3, 4 और 5 स्पष्ट रूप से दर्शाते और सिद्ध करते हैं कि श्री पी. सुभैया 27.12.2014 से और फिर 21.07.2015 से बिना अधिकृत अवकाश के ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। उक्त दस्तावेज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि श्री पी. सुब्बैया बिना अवकाश के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आदी थे और ऐसे कृत्यों के लिए दंड लगाने के संबंध में किसी भी प्रकार की नरमी के पात्र नहीं हैं।

मामले के संपूर्ण अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि ड्यूटी पर आने के कई अवसर दिए जाने के बावजूद श्री पी. सुब्बैया ड्यूटी पर नहीं आए। अतीत में भी वे आदतन अनुशासनहीनता में लिप्त रहे हैं और एक लोकपाल कर्मचारी के लिए अशोभनीय हैं।

यह भी देखा गया है कि उनके सभी 3 उपलब्ध पतों पर पंजीकृत पत्रों और डाक के माध्यम से ज्ञापन भेजे गए थे। उन्होंने 30.01.2017 को एक बार ईमेल द्वारा जवाब देते हुए पूछताछ में उपस्थित होने के लिए 10 से 13 दिन का समय मांगा। इसके बाद उन्हें पूछताछ में उपस्थित होने के लिए तीन और अवसर दिए गए। हालांकि, न तो वे पूछताछ में उपस्थित हुए और न ही इस संबंध में कोई सूचना दी।

अभिलेखों से मुझे यह विश्वास हो गया है कि श्री पी. सुब्बैया ने आदतन अनुशासनहीनता का अभ्यास किया है, जो प्रमाणित स्थायी आदेशों के नियमों के अंतर्गत एक गंभीर दुराचार है, इसलिए उन पर कड़ी सजा लगाई जानी चाहिए। वास्तव में, उपरोक्त नियम 23.4 और 23.32 के अंतर्गत परिकल्पित दुराचार उनके कृत्यों से सिद्ध हो चुका है और उक्त दुराचार ही कड़ी सजा लगाने का आधार है।

मैंने जांच प्राधिकरण की रिपोर्ट और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट तथा प्रस्तावित सजा का अध्ययन किया है। इसके अलावा, यह कहा जा चुका है कि किसी संगठन में अनुशासन और संस्कृति को बनाए रखने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में यदि सजा न दी जाए तो संगठन के अनुशासन और संस्कृति को नुकसान पहुंचता है। श्री पी. सुब्बैया के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्रतीत होते हैं। यद्यपि श्री पी. सुब्बैया के कृत्य संदेह से परे सिद्ध प्रतीत होते हैं, फिर भी मामले के तथ्यों को देखते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रबल संभावनाओं के आधार पर भी श्री पी. सुब्बैया को दंडित करने का कानूनी अधिकार था।

समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरा मानना है कि श्री पी. सुब्बैया किसी भी प्रकार की नरमी या सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। श्री पी. सुब्बैया ने आज तक न तो कार्यभार ग्रहण किया है और न ही इस संबंध में आज तक कोई पत्र व्यवहार किया है, यानी 869 दिन बीत जाने के बाद भी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

अधोहस्ताक्षरी की यह राय है कि श्री सु सुब्बैया के उपरोक्त कृत्य को माफ करना निगम के हित में हानिकारक होगा और संगठन में अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ऐसे कृत्यों को बिना दंड के छोड़ देने से अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा ही करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

अतः, नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते, मैं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी कार्मिक प्रत्यायोजन शक्ति आदेश की धारा 12 के खंड (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित और मेरे समक्ष प्रस्तुत श्री पी. सुभैया को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सेवा से बर्खास्त करने के प्रमुख दंड पर विधिवत विचार करता/करती हूँ। श्री पी. सुभैया द्वारा किए गए कदाचार की गंभीरता और उसकी पुनरावृत्ति को देखते हुए, जिस पर मुझे अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, मैं अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दंड को अनुमोदित करता/करती हूँ और टीएचडीसी प्रमाणित स्थायी आदेशों के नियम 4.2(ख) के तहत श्री पी. सुभैया को सेवा से बर्खास्त करने का प्रमुख दंड लगाने का आदेश देता/देती हूँ, जो भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी। सेवा से बर्खास्तगी का उक्त दंड अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की तिथि से प्रभावी होगा।

अनुशासनात्मक प्राधिकारी को इस आदेश की सूचना तत्काल दी जाए।

(यू.के. सक्सेना)
महाप्रबंधक (परियोजना) एवं (नियुक्ति प्राधिकारी)

<u>अनुशासनात्मक प्राधिकारी/</u>
<u>उप महाप्रबंधक (का.एवं प्रशा.), वीपीएचईपी</u>